XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.92–दो/87 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–15	आवेदक की ओर से श्री ओ.पी.शर्मा, अभि.उप. तथा अना. की ओर से श्री के.डी.दीक्षित, अभि. उप. । पिछली आदेश पत्रिका दिनांक 12–5–15 में आवेदक अभि. को मृतक अना. के वारिसो की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिये गये थे, लेकिन उनके द्वारा वारिसान की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई । अतः आवदेक अभि. द्वारा आदेश का पालन न करने के कारण यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय बोर्ड आफ रेवेन्यू मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 92-II ।८७ रिविजन

4 — II
८७ डी रिविजन
9-6-८७
7.6.87

१- महिला रामकुंवर विधवा जानकीप्रसाद ब्रा० ..
२- छोटेलाल } पुत्रगण जानकी प्रसाद
३- कालीचरन } ब्राह्मण निवासीगण समस्त
४- महादेवप्रसाद) ग्राम राय की पाली,
तेहसील गोहद जिला भिण्ड

--आवेदकगण

बनाम

मृत्यु कारित — महिला प्रेमवती विधवा राधाचरन ब्राह्मण
निवासी ग्राम छत्तरपुरा तेहसील ~~गोहद~~ जौरा
जिला मुरैना (म० प्र०) --अनावेदिका.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा०सं०१६५६ विरुद्ध
आदेश श्री म०ल० पाटिल एडिशनल कमिश्नर चम्बल संभाग
ग्वालियर दिनांक २०-५-८७ एवं २८-४-८७ प्र०क्र०४९।८६-८७

श्रीमान् जी,

आवेदकगण का पुनरीक्षण आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैं:-

।। संक्षिप्त तथ्य ।।

१- यह कि, विवादित भूमि स्थित तेहसील गोहद आवेदक क्र० १ के स्व०पति एवं क्र० २, ३ व ४ के पिता तथा अनावेदिका के श्वसुर स्व० श्री जानकी प्रसाद के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी ।

२- यहकि, अनावेदिका के पति एवं जानकीप्रसाद के पुत्र राधाचरण की मृत्यु आज से लगभग २०-२५ वर्ष पूर्व हो गई थी और उसी समय से अनावेदिका अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके अपने पिता के घर ग्राम छत्तरपुरा पर० जौरा में जाकर रहने लगी थी और वर्तमान में भी वहीं निवास कर रही है ।

३- यहकि, दिनांक ३०-१२-८२ को जानकीप्रसाद ने अपने वसीयतनामे के